न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024/373 दर्ज तिथिः—02.01.2024

प्रार्थी		अप्रार्थी
सरकार		दीपा पुत्र चिमना वगैरह
जरिये तहसीलदार	बनाम	जरिये अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—131, 136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956
निर्णय तिथिः—18.07.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 288/2, 260, 261 मौजा भाम्भूनगर तहसील नोखड़ा के मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॅार्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना—पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 जरीये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी संख्या 03 का वारिसान द्वारा उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज किये जाने पर लिखित सहमति प्रदान की। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नौखड़ा द्वारा दिनांक 05.05.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस प्रार्थी द्वारा मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रकरण में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि सम्बंधित पक्षकारों द्वारा समर्पण की जा चुकी है। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 द्वारा उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:41 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 288/2, 260, 261 मौजा भाम्भूनगर तहसील नोखड़ा में उक्त रास्ता बारहमासी चालू होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग में आ रहा है।

परंतु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग पर कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

5. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

6. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के प्रावधानों के तहत खसरा संख्या 288/2, 260, 261 मौजा भाम्भूनगर तहसील नोखड़ा में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते के भूमि उपयोग को गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का उक्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा संख्या 288/2, 260, 261 मौजा भाम्भूनगर तहसील नोखड़ा को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:41 IST
Reason: SelfAttested